अटल बिहारी वाजपेयी
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्धन संस्थान, ग्वालियर
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
मुरैना लिंक रोड, ग्वालियर - 474 015 (म.प्र.)

विज्ञापन संख्या: 623 एवं ABVIIITMG/DoMS/MS/Ad/2026/01 — दिनांक: जुलाई 23, 2026

फुलटाइम एम.टेक (गेट/नॉन-गेट) तथा एम.एस. (जैम/नॉन-जैम) में प्रवेश – विषम सेमेस्टर 2026-2027

संस्थान में फुलटाइम एम.टेक (गेट/नॉन-गेट) तथा एम.एस. (जैम/नॉन-जैम) विषम सेमेस्टर 2026 (संस्थान स्तर पर, CCMT एवं CCMN के अतिरिक्त) के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषज्ञताओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

M.Tech.	Computer Science and Engineering	Information and Cyber Security
	Information Technology	Wireless Networks and Computing
	IC Design and Technology	Autonomous Systems & Machine Intelligence
MS	ARTIFICIAL INTELLIGENCE & BUSINESS ANALYTICS	

कोई आवेदन शुल्क नहीं। वैध गेट स्कोर वाले अभ्यर्थियों को संस्थान के नियमानुसार छात्रवृत्ति दी जाएगी तथा प्रवेश में प्रथम प्राथमिकता वैध गेट स्कोर एवं वैध जैम स्कोर वाले अभ्यर्थियों को दी जाएगी। नॉन-गेट एवं नॉन-जैम अभ्यर्थियों का प्रवेश लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। पात्रता, आवेदन पत्र एवं अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट https://www.iiitm.ac.in देखें। किसी भी प्रश्न के लिए संपर्क: एम.टेक. प्रवेश: 0751-2449811 | mtechadmission@iiitm.ac.in ; एम.एस. प्रवेश: 8965009224 | domsoffice@iiitm.ac.in

अन्तिम तिथि: 5 अगस्त 2026 शाम 5:00 बजे तक (केवल ऑनलाइन आवेदन) — सुयुक्त कुलसचिव शैक्षणिक

पढ़ें, दुनियाभर की अनोखी और रोचक खबरें 'जरा इधर भी' में amarujala.com पर

प्रदेश में बैंकों का एक लाख करोड़ रुपये का कर्ज एनपीए

कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा 12.97% ऋण फंसा, 41.73 लाख से अधिक खाते गैर-निष्पादित

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बैंकों का करीब एक लाख करोड़ रुपये का कर्ज गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में बदल चुका है। मार्च 2026 तक कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में 99481 करोड़ रुपये का ऋण एनपीए हो गया है।

इन क्षेत्रों के 41.73 लाख से अधिक ऋण खाते गैर-निष्पादित हैं। इनमें सबसे खराब स्थिति कृषि क्षेत्र की है, जहां कुल ऋण का 12.97 प्रतिशत एनपीए में बदल चुका है। एमएसएमई क्षेत्र में यह अनुपात 4.98 प्रतिशत और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 6.81 प्रतिशत है बैंकों की ओर से शासन और भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी गई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, एनपीए बढ़ने के साथ ही ऋण वसूली भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। तहसील स्तर पर 932565 वसूली प्रमाणपत्र लंबित हैं, जिनमें 17856.36 करोड़ की बैंक देनदारियां फंसी हैं।

कृषि क्षेत्र में बैंकों ने 260154 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया है। इसमें से 33,748 करोड़ का कर्ज एनपीए हो चुका है। यानी कृषि क्षेत्र में दिया गया लगभग हर आठवां रुपया फंस गया है। इस क्षेत्र के 30,12,365 ऋण खाते एनपीए की श्रेणी में पहुंच चुके हैं, जो कुल गैर-निष्पादित खातों का करीब 72 प्रतिशत हैं। इससे स्पष्ट है कि किसानों की ऋण चुकाने की क्षमता पर दबाव बढ़ा है। एमएसएमई क्षेत्र में कुल 302481 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है। इसमें 15070 करोड़ रुपये का कर्ज एनपीए हो चुका है। इस क्षेत्र के 947156 ऋण खाते गैर-निष्पादित हैं। हालांकि, 4.98 प्रतिशत एनपीए के साथ इसकी स्थिति कृषि क्षेत्र की तुलना में बेहतर है। वहीं, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में भी 50,663 करोड़ रुपये एनपीए हो चुका है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि कुल एनपीए खातों में कृषि की हिस्सेदारी करीब 72% और एमएसएमई की लगभग 23 प्रतिशत है।

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
आंचलिक कार्यालय : प्लॉट नं. एच–2, ताज नगरी फेज 2, फतेहाबाद रोड, आगरा | ई–नीलामी 25.08.2026

प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति (बैंक ऑफ इण्डिया) हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रतिभूति– दाता को यह सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियॉं जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी/ प्रभारित है का कब्जा प्रतिभूति लेनदार (बैंक ऑफ इण्डिया) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर प्रतिभूति लेनदार की अधोलिखित रुपये की बकाये राशि की वसूली हेतु अंकित तिथि 25.08.2026 को प्रातः 11 बजे से सायः 5 बजे तक बेचा जायेगा।

क्रं सं.	ऋणी एवं गारंटर का नाम एवं पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण
	जिला आगरा, शाखा: कमला नगर, सम्पर्क करें मो.: 8650568665	
1.	**ऋणी**– श्री मनोज शर्मा पुत्र श्री राम गोपाल शर्मा, पता– फ्लैट नंबर 108 (द्वितीय तल) श्री राम विहार गुम्मट, बल्केश्वर, आगरा बकाया राशि: रू. 9,48,889.18 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो बिक्री सूचना पत्र दिनांक: 19.07.2026	साम्यिक बंधक संपत्ति स्थित फ्लैट नं. 108, दूसरी मंजिल, खसरा नं. 1060, 1017, 1009, श्री राम विहार, गुम्मट, मौजा गटवसन, बल्केश्वर, आगरा, एरिया: 41.80 वर्ग मीटर, संपत्ति श्री मनोज शर्मा पुत्र राम गोपाल शर्मा के नाम, चौहद्दी: पूर्व- कॉरिडोर, पश्चिम- खुला आकाश, उत्तर- फ्लैट नंबर 107, दक्षिण- अन्य की संपत्ति आरक्षित मूल्य: 10,12,000/- अग्रिम धनराशि: 1,02,200/- सांकेतिक
2.	**ऋणी/बंधककर्ता**- श्री सुखपाल सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह, **सह-ऋणी/बंधककर्ता**- श्रीमती बलजीत कौर भोजवानी पत्नी सुखपाल सिंह, दोनों का पता- फ्लैट नंबर, एस-9, दूसरी मंजिल, बलदेव आशियाना मंजिल, महर्षिपुरम, तहसील एवं जिला आगरा बकाया राशि: रू. 26,94,948.83 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो बिक्री सूचना पत्र दिनांक: 18.07.2026	आवासीय फ़्लैट संख्या एस–9, दूसरी मंज़िल, बलदेव आशियाना फ़्लोर, महर्षि पुरम, तहसील एवं ज़िला आगरा, एरिया: 125.41 वर्ग मीटर, संपत्ति श्री सुखपाल सिंह एवं श्रीमती बलजीत कौर भोजवानी के नाम, चौहद्दी: पूर्व- फ़्लैट संख्या एस–10, पश्चिम - अन्य की संपत्ति, उत्तर - कॉमन रास्ता एवं गेट, दक्षिण - फ़्लैट संख्या एस–08 आरक्षित मूल्य: 31,36,500/- अग्रिम धनराशि: 3,13,650/- सांकेतिक
	जिला आगरा, शाखा: मारुति एस्टेट, सम्पर्क करें मो.: 9411620576	
3.	**ऋणी**– श्री वीरेंद्र सिंह पुत्र श्री सुम्मेर सिंह, सह–ऋणी– श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री वीरेंद्र सिंह, दोनों का पता– 75 बी/1, कावेरी कुंज, फेस–2, कमला नगर, आगरा बकाया राशि: रू. 14,77,924/- + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो बिक्री सूचना पत्र दिनांक: 16.07.2026	आवासीय फ़्लैट स्थित फ़्लैट नंबर 203, दूसरी मंज़िल, राधा कृष्ण अपार्टमेंट्स, राधा विहार, हरिपरवत वार्ड, कमला नगर, आगरा, एरिया: 102.18 वर्ग मीटर, संपत्ति श्री वीरेंद्र सिंह पुत्र श्री सुम्मेर सिंह के नाम, चौहद्दी: पूर्व- फ़्लैट नंबर 204, पश्चिम - फ़्लैट नंबर 202, उत्तर - गलियारा एवं निकास, दक्षिण - खुला आसमान आरक्षित मूल्य: 22,33,000/- अग्रिम धनराशि: 2,23,300/- सांकेतिक
	जिला मथुरा, शाखा: मथुरा मेन, सम्पर्क करें मो.: 9411411829	
4.	**ऋणी**- श्री मो. साकिर पुत्र श्री मुन्ना कुरैशी, पता 1- 1974, मनोहरपुरा, भरतपुर गेट मथुरा, पता 2- प्लॉट नंबर 186, खसरा नंबर 3775, नवनीत नगर, मौजा मथुरा बांगर तहसील एवं जिला मथुरा बकाया राशि: रू. 9,37,429.10 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो बिक्री सूचना पत्र दिनांक: 22.07.2026	आवासीय संपत्ति स्थित प्लॉट नं. 186 (भाग), खसरा नं. 3775, नवनीत नगर, मौजा मथुरा बांगर, तहसील एवं जिला मथुरा, एरिया: 93.36 वर्ग मीटर, संपत्ति श्री साकिर पुत्र श्री मुन्ना कुरैशी के नाम, चौहद्दी: पूर्व- सलमा के प्लॉट 186 का भाग, पश्चिम - प्लॉट नं. 185, उत्तर - 15 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण - प्लॉट नं. 183 आरक्षित मूल्य: 24,53,000/- अग्रिम धनराशि: 2,45,300/- सांकेतिक
	जिला आगरा, शाखा: आगरा मेन, सम्पर्क करें मो.: 9011940740	
5.	**ऋणी एवं CC में गारंटर- बंधककर्ता**- श्री लोकेश कुमार हिरानी पुत्र श्री गोवर्धन लाल हिरानी, **सह-ऋणी**- श्री नीरज हिरानी, दोनों का पता- विल- फ्लैट नं. 301, तीसरी मंजिल प्लॉट नंबर -107ए1, एकता गोल्ड अपार्टमेंट, राधा विहार, आगरा, गारंटर- श्रीमती कविता देवी हिरानी, ऋणी- मेसर्स गोवर्धन साड़ी सेंटर (प्रो. श्री गोवर्धन लाल हिरानी), पता- तिवारी मार्केट, सुभाष बाजार, जामा मस्जिद, आगरा, ऋणी- श्री गोवर्धन लाल हिरानी, सभी का पता- ए-36, रश्मी नगर, कमला नगर, आगरा बकाया राशि: रू. 40,23,883.28 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो बिक्री सूचना पत्र दिनांक: 22.07.2026	साम्यिक बंधक संपत्ति स्थित फ्लैट संख्या 301, तीसरी मंजिल, प्लॉट संख्या 107ए–1 पर निर्मित, खसरा संख्या 353/2 का भाग, राधा विहार (एकता गोल्ड), कमला नगर, मौजा घटवासन मुस्तकिल, हरीपर्वत वार्ड, आगरा, एरिया- 111.47 वर्ग मीटर, संपत्ति श्री लोकेश कुमार हिरानी पुत्र श्री गोवर्धन लाल हिरानी के नाम, चौहद्दी: पूर्व- फ्लैट संख्या 302, पश्चिम- खुला आकाश, उत्तर- गलियारा एवं निकास, दक्षिण- खुला आकाश आरक्षित मूल्य: 27,20,000/- अग्रिम धनराशि: 2,72,000/- सांकेतिक
6.	**ऋणी/बंधककर्ता**- श्री नीरज कुमार पुत्र महेश चंद, पता- मकान नंबर 27, ग्राम जनारा, बमरौली कटारा, किरोली, आगरा, गारंटर- श्री राजेंद्र शर्मा पुत्र लक्ष्मी नारायण, पता- 319, चमरौली मोड़, शमशाबाद रोड, आगरा बकाया राशि: रू. 11,52,423.28 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो बिक्री सूचना पत्र दिनांक: 22.07.2026	आवासीय संपत्ति स्थित मकान नंबर 73, नालंदा आशियाना, खसरा नंबर 25 एवं 208, मौज़ा- नौबरी/राजराई, आगरा, एरिया: 43.48 वर्ग मीटर, संपत्ति श्री नीरज कुमार पुत्र श्री महेश चंद के नाम, चौहद्दी: पूर्व- प्लॉट नंबर 74, पश्चिम- 6 मीटर चौड़ा रास्ता एवं निकास, उत्तर- प्लॉट नंबर 72, दक्षिण- 9 मीटर चौड़ा रास्ता एवं निकास आरक्षित मूल्य: 13,44,000/- अग्रिम धनराशि: 1,34,400/- सांकेतिक
7.	**ऋणी/बंधककर्ता**- श्री योगेश कुमार शर्मा पुत्र भगवान सहाय शर्मा, पता- मकान नं. 422 गायत्री मनहर गार्डन सिकंदरा आगरा, **सह-ऋणी**- श्वेता चौहान पत्नी योगेश कुमार शर्मा, पता- 317 सेक्टर 12 डी आवास विकास कॉलोनी सिकंदरा बोदला आगरा, गारंटर- श्री प्रमोद वीर सिंह चौहान पुत्र नाथू सिंह चौहान, पता- 317/12डी आवास विकास कॉलोनी, सिकंदरा आगरा बकाया राशि: रू. 34,19,528.60 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो बिक्री सूचना पत्र दिनांक: 22.07.2026	आवासीय संपत्ति स्थित मकान नंबर 113, ओम श्री टाउन (कैलाश विहार फेज IV), मौजा राजराई, शमशाबाद रोड, तहसील एवं ज़िला आगरा, एरिया: 125.18 वर्ग मीटर, संपत्ति श्री योगेश कुमार शर्मा पुत्र श्री भगवान सहाय शर्मा के नाम, चौहद्दी: पूर्व- अन्य का प्लॉट, पश्चिम- मकान नंबर 114, उत्तर- अन्य की संपत्ति, दक्षिण- 9 मीटर चौड़ा रास्ता एवं उसके बाद पार्क आरक्षित मूल्य: 17,01,000/- अग्रिम धनराशि: 1,70,000/- सांकेतिक
	जिला आगरा, शाखा: न्यू आगर, सम्पर्क करें मो.: 9690491881	
8.	**ऋणी/बंधककर्ता**- श्री राकेश कुमार पुत्र दाऊ दयाल, **सह-ऋणी**- श्री गोविंद पुत्र राकेश कुमार, गारंटर- श्री कान्हा पुत्र राकेश कुमार, सभी का पता- 37/411, नगला पदी, सिंधी हवेली, वार्ड नंबर 25, नगला पदी, नगर निगम, आगरा बकाया राशि: रू. 18,41,903/- + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो बिक्री सूचना पत्र दिनांक: 21.07.2026	संपत्ति स्थित प्लॉट नंबर 5, नगर निगम नंबर 38/बीबी/5ए, नगला बूढ़ी, भोपत बाग कॉलोनी, हरिपरवत वार्ड, तहसील एवं ज़िला - आगरा, एरिया: 80.26 वर्ग मीटर, संपत्ति श्री राकेश कुमार, पुत्र श्री दाऊ दयाल के नाम, चौहद्दी: पूर्व- पप्पू ठेकेदार का मकान, पश्चिम - सतीश अग्रवाल का मकान, उत्तर - किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति, दक्षिण - 3.03 मीटर चौड़ा रास्ता एवं सतीश अग्रवाल का मकान आरक्षित मूल्य: 21,42,000/- अग्रिम धनराशि: 2,14,200/- सांकेतिक
9.	**ऋणी/बंधककर्ता**- श्री सत्येन्द्र पाल सिंह पुत्र मुन्ना लाल, **सह-ऋणी एवं बंधककर्ता**- श्री हरेन्द कुमार पुत्र मुन्ना लाल, दोनों का पता 1- प्लॉट संख्या खसरा संख्या 408 एम, नई आबादी, खंदौली रोड, मौजा सवाई, तहसील- एत्मादपुर, जिला- आगरा, दोनों का पता 2- नगला हंसराज, पोस्ट- धरेरा, तहसील- एत्मादपुर, जिला- आगरा बकाया राशि: रू. 34,33,122.44 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो बिक्री सूचना पत्र दिनांक: 21.07.2026	आवासीय संपत्ति स्थित खसरा नंबर 408 एम, नई आबादी, खंदौली रोड, एत्मादपुर, तहसील एवं जिला- आगरा, एरिया: 194.39 वर्ग मीटर, संपत्ति श्री सत्येन्द्र पाल सिंह एवं हरेन्द्र कुमार के नाम, चौहद्दी: पूर्व- सर्वेश यादव एवं प्रदीप जैन का प्लॉट, पश्चिम- अन्य की भूमि, उत्तर- विक्रेता का प्लॉट, दक्षिण- एत्मादपुर- खंदौली रोड आरक्षित मूल्य: 61,84,800/- अग्रिम धनराशि: 6,18,480/- सांकेतिक

ई–नीलामी की तिथि: 25.08.2026, समय: सुबह 11: 00 बजे से शाम 5: 00 बजे तक

नियम एवं शर्तेः– 1. यह ई–नीलामी पीएसबी अलायंस द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com के माध्यम से आयोजित की जा रही है। 2. नीलामी में भाग लेने के लिए, बोलीदाताओं को वेबसाइट पर अपना नाम, पता, संपर्क विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित सटीक और पूर्ण जानकारी प्रदान करके पंजीकरण करना होगा। 3. बोलीदाताओं के पास वैध पैन कार्ड और आधार कार्ड होना अनिवार्य है। 4. सफल पंजीकरण के बाद बोलीदाता को प्रत्येक संपत्ति के लिएनिर्धारित बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी। नीलामी के बाद असफल बोलीदाताओं को ईएमडी वापस कर दी जाएगी। 5. बोली लगाने वाले निर्धारित नीलामी अवधि के दौरान संपत्ति पर बोली लगा सकते हैं। 6. नीलामी अवधि के अंत में उच्चतम बोली लगाने वाला ही विजेता घोषित किया जाएगा और इस संबंध में सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी की जाएगी, जो बैंक के अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगी। विजेता को बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत उसी दिन या अगले कार्य दिवस तक (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) जमा करना होगा। बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर शेष राशि जमा करनी होगी, अन्यथा बैंक क्रेता द्वारा पहले से भुगतान जमा की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर लेगा। भुगतान भुगतान में चूक होने पर संपत्ति दूसरे उच्चतम बोली लगाने वाले को दीजा सकती है या पुनर्विक्रय की जा सकती है और चूक करने वाले क्रेता का कोई दावा नहीं होगा। संपत्ति पर देय सभी वैधानिक और अन्य शुल्क क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। 7. यदि किसी भी कारण से बिक्री की पुष्टि नहीं होती है या उसे रद्द कर दिया जाता है, तो बोली लगाने वाले को बिक्री से संबंधित सभी आकस्मिक खर्चा का वहन करना होगा और क्रेता बोली लगाने वाला किसी भी प्रकार के मुआवजे या हर्जाने का दावा करने का हकदार नहीं होगा। 8. इच्छुक पक्ष बोलीदाता अधिक जानकारी के लिए बैंक ऑफ इंडिया के अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 9. संपत्ति की बिक्री के संबंध में बैंक / अधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद होगा। बैंक बिना कोई कारण बताए बिक्री को रद्द स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 10. संपूर्ण विक्रय मूल्य के भुगतान और विक्रय संबंधी औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर, सफल क्रेता बोलीदाता को विक्रय प्रमाण पत्र सरफेसी नियम में निर्धारित प्रारूप के अनुसार) जारी किया जाएगा। सफल क्रेता को विक्रय प्रमाण पत्र के पंजीकरण के लिए सभी मौजूदा पूर्व भविष्य के कर और शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, आकस्मिक व्यय आदिवहन करने होंगे। 11. यह सूचना उपरोक्त उधारकर्ताओं गिखीदारों गारंटरों को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम–2002 के नियम 8 (6)/6(2)/9 (1) के तहत भी दी गई सूचना है। 12. बोली लगाने वाले अपनी पसंद के स्थान से ई–नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था बोली लगाने वाले को स्वयं करनी होगी, बैंक सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रैश, बिजली गुल होने आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। 13. इच्छुक बोलीदाताओं को बैंक के शुल्कों के अलावा किसी भी प्राधिकरण द्वारा संपत्ति पर किसी भी दावे, शुल्क और भार के संबंध में सावधानीपूर्वक पूछताछ करनी चाहिए और अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, विस्तार, गुणवत्ता और मात्रा के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए। 14. यदि उधारकर्ता बिक्री की तारीख से पहलेबैंकों को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है, तो नीलामी को रोका / रद्द किया वापस लिया जा सकता है। 15. यह बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित शर्तो और इस संबंध में भारत सरकार के निर्देशों के अनुसरण में बैंकों के दिशानिर्देशों के अधीन होगी। 16. संयुक्त भूखंड के प्रस्तावों को प्राथमिकता दीजाएगी और संयंत्र और मशीनरी के लिए बोली पर तभी विचार किया जाएगा जब भूमि और भवन के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं होगी। 17. बोली की कीमत आरक्षित मूल्य से अधिक होनी चाहिए और बोलीदाता को भविष्य में अपनी पेशकश को 10,000 रुपये के गुणक में सुधारना होगा। 18. यदि किसी लॉट की अंतिम बोली राशि 50 लाख रुपये से अधिक है, तो नीलामी खरीदार को बैंक को अंतिम मुगतान करते समय आयकर अधिनियम की धारा 194 आईए केअनुसार अचल संपत्ति के विक्रय मूल्य का 1 प्रतिशत टीडीएस (वजन कटौती) काटकर आयकर विभाग को बैंक ऑफ इंडिया पैन नंबर AAACB0472C के नाम से जमा करना होगा और बैंक को चालान / करदाता की प्रतिलिपि और फॉर्म 26qb अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। खरीदार को अन्य सभी लागू वैधानिक कर,देय राशि, पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, संपत्ति कर,सोसायटी शुल्क और अन्य सभी समान शुल्क भी वहन करने होंगे। 19. अंग्रेजी संस्करण और स्थानीय भाषाके संस्करण में किसी भी प्रकार की विसंगति होने की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को प्राथमिकता दी जाएगी। 20. बोलीदाताओं को ई–नीलामी के दिन ऑनलाइन बोली जमा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। किसी भी स्थिति में, एक बार बोली जमा हो जाने पर बोलीदाता जमा की गई राशि के लिए बाध्य होगा / होंगी और किसी भी अनुरोध / संवाद पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के अन्तर्गत 30 दिनों की वैधानिक बिक्री सूचना

उधारकर्ता / गारंटरों को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त रराशि का भुगतान अद्यतन ब्याज और अन्य संबंधित खर्चा सहित ई–नीलामी की तिथि से पहले कर दें। अन्यथा, सम्पत्ति की नीलामी / बिक्री कर दी जाएगी और यदि कोई बकाया राशि हो तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांक : 24.07.2026 — प्राधिकृत अधिकारी

लैंगिक अपराध पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा के होंगे और बेहतर इंतजाम

लखनऊ। लैंगिक अपराधों से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को अब बेहतर चिकित्सीय सुविधा मिलेगी। डीजीपी राजीव कृष्णा ने गर्भवती पीड़िताओं के चिकित्सकीय गर्भसमापन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रभावी हुए हैं।

इन निर्देशों के अनुसार, बलात्कार या लैंगिक उत्पीड़न के मामले में गर्भवती पीड़िता को बिना देरी सीएमओ के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। पॉक्सो अधिनियम के तहत मेडिको लीगल रिपोर्ट, बीएनएसएस बयान और प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति भी देनी होगी। इससे पीड़िता की शारीरिक व मानसिक स्थिति का आकलन कर गर्भसमापन पर उचित निर्णय लिया जा सकेगा। यदि पीड़िता नाबालिग और अविवाहित है, तो थाना प्रभारी तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को सूचित करेगा। वे सुनिश्चित करेंगे कि पीड़िता को गर्भसमापन चिकित्सा अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम के अनुरूप सभी प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। थाना प्रभारी सारी कार्रवाई का विवरण जीडी में दर्ज करेगा। ब्यूरो

डीजीपी ने गर्भसमापन या शिशु का जन्म होने पर विभागों की भूमिका का उल्लेख किया

बिजली कंपनियों पर लापरवाही का आरोप

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने प्रदेश की बिजली कंपनियों और पॉवर कॉर्पोरेशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिषद अध्यक्ष ने नियामक आयोग में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव दाखिल करके उपभोक्ताओं के हितों की हो रही अनदेखी का मुद्दा उठाया है।

परिषद अध्यक्ष ने आयोग को बताया कि अप्रैल से जुलाई के बीच भीषण गर्मी में 4591692 विद्युत आपूर्ति बाधित होने की शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें से लगभग 41 फीसदी यानी 1877926 शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के बाद किया गया। यह विद्युत नियमों का उल्लंघन है। जिन उपभोक्ताओं को समय पर बिजली नहीं मिली, उन्हें कानून के तहत मुआवजा दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि संविदा कार्मिकों की जानबूझकर छंटनी से हड़ताल जैसी स्थिति बनी। इसी तरह दूसरे प्रस्ताव में बताया कि पॉवर कॉर्पोरेशन ने करोड़ों उपभोक्ताओं के बिजली बिलों से नाम और पते हटाकर एक्स अंकित कर दिया है। ब्यूरो

आयोग से कठोर कार्रवाई की मांग

परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार और सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात की। परिषद ने विद्युत अधिनियम और आयोग के विनियमों के उल्लंघन पर पॉवर कॉर्पोरेशन और संबंधित बिजली कंपनियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

मर्सिडीज-बेंज ने लांच की एएमजी ई 53 हाइब्रिड, शुरुआती कीमत 1.45 करोड़

नई दिल्ली (वि)। मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने अपनी पहली इलेक्ट्रिफाइड एएमजी ई-क्लास सेडान, एएमजी ई 53 हाइब्रिड 4मैटिक+ को भारतीय बाजार में उतारा है। यह कार प्रदर्शन और दक्षता का अनूठा संगम है। इसकी कीमत 1.45 करोड़ रुपये से शुरू होती है।

इस वाहन में 3.0 लीटर इन-लाइन छह सिलिंडर इंजन और 120 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर का संयोजन है। यह कुल 585 एचपी की शक्ति और 750 एनम का टॉर्क प्रदान करता है। रेस स्टार्ट प्रणाली में यह आउटपुट 612 एचपी तक पहुंच जाता है। यह कार मात्र 3.8 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है, जबकि इसकी इलेक्ट्रिक रेंज 100 किलोमीटर तक है। कंपनी ने इसे दो संस्करणों परफॉर्मेंस और रेसिंग में पेश किया है, जिनकी कीमत क्रमशः 1.45 करोड़ रुपये और 1.48 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। एएमजी ई 53 हाइब्रिड में एएमजी विशिष्ट सामने की जाली, चौड़े पहिया रक्षक और 20-इंच अलॉय व्हील्स हैं। अंदरूनी हिस्से में एएमजी स्पोर्ट्स सीट्स और बर्मेस्टर 4डी सराउंड साउंड सिस्टम जैसी सुविधाएं हैं।

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने इंडियन पैडल टूर के साथ 2026-27 सीजन के लिए टाइटल पार्टनरशिप की घोषणा भी की। इस साझेदारी के तहत 11 शहरों में 19 टूर्नामेंट आयोजित होंगे, जिनमें 5 ग्रैंड स्लैम शामिल हैं। मर्सिडीज-बेंज इंडिया के एमडी और सीईओ संतोष अय्यर ने कहा कि एएमजी ई 53 हाइब्रिड 4मैटिक+प्रदर्शन, उपयोगिता और इलेक्ट्रिक दक्षता का संतुलन है। इस वर्ष कंपनी अपनी 140वीं वर्षगांठ भी मना रही है।

व्यावसायिक गतिविधि

Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh
Sect-11, Jankipuram Vistar, Sitapur Road, Lucknow, U.P.-226031

Ph.D. Admissions : 2026-27 (Phase- I)

Applications are invited for the Phase-I admission in Ph.D. programmes offered by the University, as per two categories, Category-A and Category-B. Applicants are required to apply online from **20/07/2026 to 05/08/2026** through University website **https://aktu.ac.in.**

- **Application Fee:-** SC/ST/DivyangJan/Girls Rs. 1000; GEN/OBC Rs. 2000.
- For the eligibility criteria of both Categories A and B, visit university website.
- Category A applicants are exempted from Written Examination. However, if Category A candidate wishes to apply for AKTU fellowship scheme (Homi Bhabha Teaching Assistant cum Research Fellowship) they need to apply under Category B.
- The written exam (for Category B only) shall be of two-hour duration and shall contain 100 multiple choice type questions, out of which 50 questions will be of Research Methodology and 50 questions will be from subject specific disciplines/subject areas. Examination will be held at Lucknow.
- Details of written Examination/Interview will be provided subsequently on the university website. Tentative date of written exam – **25th August 2026.**
- Homi Bhabha Teaching Assistant cum Research Fellowship (offered only for Eligible Streams under Faculty of Engg & Technology, Faculty of Applied Sciences, Humanities and Social Sciences, Faculty of Architecture & Planning), will be given to eligible candidates of Category B only, subject to availability of supervisor and seats.

Registrar

website: www.aktu.ac.in

1.11 लाख आरक्षी नागरिक पुलिस की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी

लखनऊ। पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने 1,11,293 आरक्षी नागरिक पुलिस की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। आपत्तियों और प्रत्यावेदनों का निस्तारण करने के बाद यह सूची जारी हुई है। अब इन कर्मियों को रिक्त पदों पर मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक स्थापना अमृता मिश्रा ने यह आदेश जारी किया।

उप्र पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 के प्रावधानों के तहत यह प्रक्रिया हुई है। पूर्व में 1,11,563 आरक्षियों की अनंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई थी। जिलों और इकाइयों से मिली सूचना के आधार पर 1022 आरक्षियों के नाम हटाए गए। इनमें सेवानिवृत्त, पदच्युत, मृत्यु, पदोन्नति, त्यागपत्र और लापता कर्मी शामिल थे। वहीं, 752 आरक्षियों के नाम सूची में जोड़े गए। यह अंतिम सूची पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसी त्रुटि की जिम्मेदारी संबंधित जिले या इकाई की होगी। ब्यूरो

68500 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मिले

लखनऊ। 68500 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मुलाकात की। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति लागू करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उत्तीर्णांक में 5 फीसदी छूट देने की अपील की। उन्होंने 150 पूर्णांक में 60 अंक (40 फीसदी) पर परिणाम संशोधित कर नई सूची जारी करने को कहा। अभ्यर्थी नेता तूफान सिंह ने बताया कि आयोग ने 5 फीसदी छूट का निर्देश दिया है। इस छूट से ओबीसी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों को लाभ मिलेगा। ब्यूरो